क्रमांक- 86

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई,2017 (श्रावण 02, 1939)

सत्रकाल में दीर्घा प्रवेश-पत्र व्यवस्था.

सत्रकाल में विभिन्न दीर्घाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश-पत्र कार्यालय से प्रवेश-पत्र जारी किये जाते हैं। मा. सदस्यगण से अनुरोध है कि वे अपने साथ आने वाले आगन्तुकों के दीर्घा प्रवेश-पत्र बनवाने हेतु निर्धारित फार्म में ही संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सुरक्षा की दृष्टि से पृथक आवेदन देने पर दीर्घा प्रवेश-पत्र दिया जाना संभव नहीं होगा, साथ ही आगन्तुकों को प्रवेश के समय जारी प्रवेश-पत्र के साथ अपने अन्य कोई पहचान-पत्र या आधार रखना भी अनिवार्य होगा। दीर्घा प्रवेश-पत्र सीमित मात्रा में ही दिये जा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुसरण एवं सुरक्षा नियमों के अनुकूल व्यवस्थाओं को बनाये रखने में माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा